अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 4(1)कार्मिक / क–2 / अ.प्र. / 2006 जयपुर, दिनांकः 22.04.13

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव / शासन प्रमुख सचिव / शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

विषयः–विभिन्न संवर्गों एवं पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने एवं नियमित डी.पी.सी. आयोजित किए जाने के संबंध में।

कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 01.04.2013 के द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि 1 अप्रैल की स्थिति में नियमानुसार वरिष्ठता सूचियां तैयार / जारी कर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर अविलम्ब पदोन्नति की कार्यवाही की जाए।

इस संबंध में समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को पुनः व्यादिष्ट किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष (2013–14) में नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र करें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

22.4.2013
(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव / सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।

22.4.13
(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

27 / 2013